9/16/2020

FIRE SERVICE | UTTAR PRADESH

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/22222/PLB/PILIBHIT/232/CFO

दिनांक: 11-09-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स MILLENNIUM WORLD SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता GATA NO. 393 of VILLAGE - KHAMRIA PATTI,Pilibhit- Puranpur road (SH-26),distt. Pilibhit तहसील - Puranpur, प्लाट एरिया 10320 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 4329.40 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	िऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.9 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स MILLENNIUM WORLD SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निश्यमन अधिकारी** द्वारा दिनांक 14-09-2020 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Name : JATINDER SINGH , Mobile / Phone No. : 9719969999 , E-Mail ID : mannrajmander18@gmail.com के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 16-09-2020 से 16-09-2023 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निश्मान व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स MILLENNIUM WORLD SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स MILLENNIUM WORLD SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिन्मदार होगा/होगें। नर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स MILLENNIUM WORLD SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिन्मदार होगा/होगें। <u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिरक्षे , सुचनाओं के आपर पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असल पार जने पर नर्गत प्राय पार मान वही होगा ।"</u>

Note : The NOC is liable to be cancelled if fire and life safety norms are found to be violated.



16-09-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-09-2020 स्थान : PILIBHIT